

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस डी एम) मुकाम जायल (नागौर)

दही / प्रथी

अपना मनी

बनाम साइबान 731/1

प्रतिवादी / अप्राधीन

प्रकरण : राजस्व वाद पत्र

मुकदमा नं 254 / 2021

तारीख हुम

हुम या कार्यवाही इनिशियल्य जज

सदर व लियत
प्रकार 20 हुम
एक की लियत 1
दही हुम

13.12.21

यह वाद अधीन धारा 88, 53, 122 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री B D P न पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तालब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22.12.21 को पेश हो।

Handwritten signature

20.12.21

पत्रावली प्राप्त। वकुलाय उप. अप्राधीन मंडल 1 2 व 3 की ओर से वकील श्री डोलेन्द्र सिंह झालवी ने तक्रालवादी पेश किया जो लागील पत्रावली है। जबाब हेतु लक्ष्य चाहते है जो न्यायक्षिप्त है दिया जाता है। प्रतिवादी से 1 व 2 की तलबी जीय। पत्रावली वास्तु इंतजार जबाब एवं जय तलबी हेतु दिनांक 5.1.22 को पेश हो।

Handwritten signature and stamp

5.1.22

वकुलाय उप. वकील प्रतिवादी 1 से 3 जबाब का का पेश करने हेतु लक्ष्य चाहते है जो न्यायक्षिप्त है दिया जाता है। प्रतिवादी से 4 व 5 के लक्ष्य तालब/अदफतानिल अजाय। पत्रावली वास्तु जबाब देवा + वकालत तलबी इंतजार तालबिल रिपोर्ट दिनांक 8.1.22 को पेश हो।

Handwritten signature and stamp: सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

8.1.22

बासंध जयल उप कार्य

12.4.22

12/4/22

वनुलाय इप। पत्रावली करने जवाब दिया
स्वं तलवी प्रतिवादी से 4.5 हेड
दिनांक 23/5/22 को पैसा हो

सहायक कलेक्टर
(एन.डी.ओ.) जयपुर

11/5/22

वकील वादी ने दरु प्रस्तुत कर पत्रावली
को आज तारीख पेसी पर लिया जाकर
पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति पर
राजिनामा हो जाने से जरिये विद्वोल
स्वार्जिज करने का निवेदन किया। पत्र
आज तारीख पेसी पर 1000 अक्षीय
वादी स्वं वादी को सुना जाया वादी
वाद को राजिनामा हो जाने से
चलाना नहीं चाहते हैं।

प.न.प.
अ.स.न.स.स.
न.स.प.स.स.

अतः वाद वादी का अधीन
द्वारा 88,53 (88 आर.टी. स्वष्ट
का जरिये विद्वोल स्वार्जिज किया
जाता है। पत्रावली निर्णय नभर से
कठ होकर वह जमाना कार्यवाही
दाखिल हफ्तर रहे।

सहायक कलेक्टर
(एन.डी.ओ.) जयपुर